न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनाक	निर्णय दिनाक
149/2023	15.05.2023	30.01.2024

उनवान

1. दिनेश पुत्र पुषा लाल तम्बोली आयु वयस्क निवासी कुम्भा छात्रावास के पास, पुर रोड, भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
2. नरेश पुत्र पुषा लाल तम्बोली आयु वयस्क निवासी कुम्भा छात्रावास के पास पुर रोड, भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
3. मंजू पुत्री पुषा लाल तम्बोली आयु वयस्क निवासी कुम्भा छात्रावास के पास, पुर रोड, भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
4. राजकुमारी पुत्री श्री पुषा लाल तम्बोली आयु वयस्क निवासी कुम्भा छात्रावास के पास, पुर रोड, भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
5. सुरेश पुत्र पुषा लाल तम्बोली आयु वयस्क निवासी कुम्भा छात्रावास के पास, पुर रोड, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
6. सीमा पुत्री पुत्री श्री पुषा लाल तम्बोली आयु वयस्क निवासी कुम्भा छात्रावास के पास, पुर रोड़, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)
7. श्रीमती भंवरी बाई पत्नी श्री पुषा लाल तम्बोली आयु वयस्क निवासी कुम्भा छात्रावास के पास, पुर रोड़, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

. रामेश्वर पुत्र श्री अम्बा लाल जाट आयु वयस्क निवासी हलेड़ तह0 एवं जिला भीलवाडा।
. रामेश्वर पुत्र श्री कजोड़ जाट आयु वयस्क निवासी हलेड़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
. रामलाल पुत्र श्री भैरू जाट आयु वयस्क निवासी हलेड़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

–विपक्षीगण

उपस्थित:–अधिवक्ता प्रार्थी पृथ्वीराज चौधरी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हलेड़ प0ह0 हलेड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 424 की अभिलिखित आराजियात 920 कुल

Ahad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

किता 01 कुल रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 के समन बाद तामील प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिन्तन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा हलेड प0ह0 हलेड़ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 424 की अभिलिखित आराजियात 920 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड वैधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा